केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/127 दिनांक: 16.05.2018

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00118
CICOM/R/2018/50240

अपीलकर्ता : श्री आर. पी. वर्मा,
159/5, ओल्ड टाईप -II,
ओ. एफ. डी. एस्टेट लाडपुर,
रायपुर, देहरादून – 248008.

निर्णय की तारीख : 16.05.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	05.04.2018 (ऑनलाइन)
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	18.04.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एच. पी. सेन
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	26.04.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	214/10.05.2018 (129580/09.05.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. *CIC/RM/A/2014/002390/SD* चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-डी.पी. कार्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचना कि "the file No. *CIC/RM/A/2014/002390/SD* has been weeded out. Therefore, no information could be given in the matter". के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि फाइल सं. *CIC/RM/A/2014/002390/SD* ई-बुक/स्कैन्ड फाइल के रूप में उपलब्ध है, तद्नुसार श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-डी.पी. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस कार्यदिवसों के अंदर ई-बुक/स्कैन्ड फाइल में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर या रिकार्ड रूम से मूल फाइल मंगवाकर अपीलकर्ता को आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित पूर्ण एवं स्पष्ट सूचना उपलबध करवाई जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
17 MAY 2018
D. No.........
Initials.........

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-डी.पी. कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली ।